बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०– 58 / 2016– 548 / कृ0, पटना, दिनांक 03-02- 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 5160.05 लाख (एकावन करोड़ साठ लाख पाँच हजार) रूपये एवं 03 प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 1703.31 लाख (सत्तरह करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये कुल 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं तत्काल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 40 प्रतिशत 2745.3440 लाख (सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख चौंतीस हजार चार सौ) रूपये व्यय की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 60 प्रतिशत 4118.016 लाख (इकतालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार छः सौ) रूपये की प्रशासनिक, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 5160.05 लाख (एकावन करोड़ साठ लाख पाँच हजार) रूपये एवं 03 प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 1703.31 लाख (सत्तरह करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये कुल 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं तत्काल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 40 प्रतिशत 2745.3440 लाख (सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख चौंतीस हजार चार सौ) रूपये व्यय की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 60 प्रतिशत 4118.016 लाख (इकतालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार छः सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में किया जायेगा। 11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के प्राक्कलन को मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किया गया है। कार्यालय भवन के लिए 1905.66 वर्ग मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण की आवश्यकता होगी। भवन निर्माण के अतिरिक्त भूमि विकास / भवन

E:\ABHINAV\2016-17\11 district\3 Pramandaliye.doc

मे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के विकास/आंतरिक सड़क आदि के लिए प्रति इकाई लागत राशि निम्नवत है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रति इकाई
1	बक्सर	472.82 लाख
2	नवादा	439.27 लाख
3	सिवान	480.58 लाख
4	मुजफ्फरपुर	469.09 लाख
5	पश्चिमी चम्पारण	491.52 लाख
6	सीतामढ़ी	487.56 लाख
7	दरभंगा	481.53 लाख
8	बेगुसराय	456.41 लाख
9	कटिहार	469.71 लाख
10	समस्तीपुर	450.66 लाख
11	खगड़िया	460.90 लाख
	कुल	**5160.05 लाख रूपये**

सभी ग्यारह जिलों में कार्यालय भवन/चहारदिवारी सहित परिसर के निर्माण/विकास की कुल 5160.05 लाख (एकावन करोड़ साठ लाख पाँच हजार) रूपये की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति की स्वीकृति की जाती है।

3. 03 प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण के लिए प्राक्कलन को मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किया गया है। कार्यालय भवन के लिए 2650.19 वर्ग मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण की आवश्यकता होगी। भवन निर्माण के अतिरिक्त भूमि विकास/भवन में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के विकास/आंतरिक सड़क आदि के लिए प्रति इकाई लागत राशि निम्नवत है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रति इकाई
1	गया	541.51 लाख
2	मुंगेर	574.45 लाख
3	पूर्णियाँ	587.35 लाख
	कुल	**1703.31 लाख रूपये**

4. संयुक्त कृषि भवन में कार्यालय भवन/चहारदिवारी सहित परिसर के निर्माण/विकास की कुल 1703.31 लाख (सतरह करोड़ तीन लाख एकतीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी जाती है।

5. जिला एवं प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन का निर्माण भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। निर्माण एजेन्सी स्थल पर जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी जिसमें संरचनात्मक निरूपन चहारदिवारी निर्माण पहुँच पथ आदि पीएचईडी विद्युत कार्य या अन्य सभी कार्यो का विस्तृत विवरण दिया जायेगा। संवेदक भवन निमाण कार्य सहित परिसर के विकास के सभी कार्यो के लिए जिम्मेवार होंगे। भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा अनुमान्य एजेन्सी शुल्क उसे देय होगा। एजेन्सी शुल्क भी विस्तृत योजना प्रस्ताव का एक भाग होगा। परियोजना अन्तर्गत निर्मित भवन/परिसर के पाँच वर्षो तक के रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित संवेदक की होगी। विभिन्न जिलों में स्थल के आवशकता के अनुसार विभिन्न कार्यमदों में निधि की आवश्यकता अलग-अलग भी हो सकती है किन्तु कुल व्यय स्वीकृत राशि की सीमा के अधीन ही होगा।

6. उक्त योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार होंगे। योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकता होने पर यथा आवश्यक संशोधन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल से संबंधी विवरणी अनुसूची - 1 संलग्न है। स्थल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

E:\ABHINAV\2016-17\11 district\3 Pramandaliye.doc

3.2.2017

7. जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी, प्रमंडलीय स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं राज्य स्तर पर कृषि निदेशक द्वारा नियमित रूप से योजना कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी एवं योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. तत्काल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 40 प्रतिशत 2745.3440 लाख (सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख चौंतीस हजार चार सौ) रूपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–3 में उपलब्ध है। उक्त राशि का आवंटन भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बंधित कार्यपालक अभियंता प्राप्त आवंटन का विपत्र सम्बधिंत कोषागार से निकासी एवं व्यय करेंगे। तकनीकी स्वीकृति का विवरण अनुसूची – 2 संलग्न है।

9. आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 60 प्रतिशत 4118.016 लाख (एकतालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार छः सौ) रूपये भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. वितीय वर्ष 2016–17 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01– कार्यालय भवन, लधु शीर्ष– 051–निर्माण, उपशीर्ष–0119–कृषि कार्यालय भवन, विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड P4059010510119	4290.00	2141.3683
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01– कार्यालय भवन, लधु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–कृषि कार्यालय भवन, विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड P4059017890102	1100.00	549.0688
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01– कार्यालय भवन, लधु शीर्ष–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0105–कृषि कार्यालय भवन, विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड P4059017960105	110.00	54.9069
कुल योग :–	**5500.00**	**2745.3440**

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संरव्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 25.01.2017 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–58/2016 के पृ0सं0– 32/टि० पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि का दिनांक– 30.12.2016 को स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–58/2016 के पृ0सं0– 27/टि० पर प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–58/2016 के पृ0सं0– 35/टि. पर दिनांक– 03.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3.2.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\11 district\3 Pramandaliye.doc